UPBB010065942021

न्यायालय: **विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं.**04,** बाराबंकी।

सत्र परीक्षण वाद सं० 1990/2021

सरकार बनाम अमित कुमार आदि।

अपराध सं. 16 /2015
धारा 147, 148, 149, 302, 364, 201, 216 भा०दं०सं०,
थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी।

निस्तारण प्रार्थनापत्र **ब 58**

आदेश पत्र

दिनांक: 07–09–2022

विशेष सत्र परीक्षण प्रस्तुत हुआ।

पुकार पर डा० विजय कुमार जिला कारागार से उपस्थित। शेष अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचन हेतु नियत है, परन्तु अभियुक्त संगम भास्कर की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० वास्ते उन्मोचन कागज सं.58 ब, अभियुक्त डा० विजय कुमार की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 180 दं०प्र०सं० कागज सं.59 ब एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 207, 208 दं०प्र०सं० कागज सं. 60 ब प्रस्तुत किया गया और यह कथन किया गया कि आरोप विरचित करने से पहले उपरोक्त प्रार्थनापत्रों का निस्तारण किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से कथन किया गया कि वे उन्मोचन प्रार्थनापत्र संगम उर्फ विनीत भास्कर पर अभी बहस हेतु तैयार हैं। शेष प्रार्थनापत्रों पर बहस हेतु कोई अन्य तिथि नियत की जाये क्योंकि इससे सम्बंधित तैयारी करनी है। अतः उपरोक्त आग्रह को ध्यान में रखते हुए प्रार्थनापत्र 58 ब अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० संगम उर्फ विनीत भास्कर का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थनापत्र ब–58 अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० अभियुक्त संगम उर्फ विनीत भास्कर की ओर से इस आशय का दिया गया है कि दिनांक 20–01–2015 को 09:50 बजे दिन में वादी दिनेश चन्द्र द्वारा डा० विजय कुमार एवं मृदुला आनन्द तथा छः अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध सं.16/2015, अन्तर्गत धारा 147, 148, 364, 302, 201 IPC की घटना के सम्बंध में जो कि दिनांक 19–01–2015 को

05:45 बजे शाम हुई, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिसमें यह कहा गया कि डा० विजय कुमार बासगांव विधानसभा का विधायक था और उनकी पत्नी जिला बहराइच में वर्ष 2014 में DIOS थीं। वादी के पुत्र शिखर श्रीवास्तव (मृतक) बहराइच में कान्ट्रेक्ट बेसिस पर एन०आई०सी० में नौकरी करता था। डा० विजय कुमार और मृदुला आनन्द ने उससे रू.3,50,000/– सरकारी नौकरी दिलाने के लिये लिया था। दिनांक 19–01–2015 को वादी को पता चला कि उसका पुत्र अपने कार्यालय से सीधे लखनऊ डा० विजय कुमार द्वारा उसका पैसावापस दिये जाने की सूचना पर गया और डा० विजय कुमार और मृदुला आनन्द व 5–6 अन्य लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। वादी का बेटा शिवम, डा० विजय कुमार के आवासीय कार्यालय पर गया परन्तु वह वहां नहीं थे और शिवम श्रीवास्तव द्वारा शिखर को ढूंढने के लिये पुलिस थाने पर कहा गया। डा० विजय कुमार से मोबाइल से सम्पर्क नहीं हो पाया और उनका मोबाइल स्विच आफ था और अगले दिन वादी के पुत्र शिखर श्रीवास्तव का शव बहराइच–रामनगर मार्ग पर पाया गया जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। मृतक का पंचायतनामा दिनांक 20–01–2015 को हुआ और 21–01–2015 को पोस्टमार्टम में यह पाया गया कि मृतक की मृत्यु आधा या एक दिन पूर्व हुई है और मृत्यु का कारण हेमरेज एवं शाक बताया गया है। अभियोजन कथानक का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होता है। विवेचक द्वारा वादी का धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान रिकर्ड किया गया जिसमें उसके द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं लिया गया। दिनांक 21–01–2015 को ही अतिरिक्त कथन वादी का विवेचक द्वारा रिकर्ड किया गया जिसमें उसने अभियोजन कथानक को बढ़ाने चढ़ाने की नियत से अन्य व्यक्तियों के नाम भी बताये। चूंकि गाड़ी में मृदुला आनन्द व डा० विजय साथ थे परन्तु यहां भी उसके द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया। प्रार्थी/ अभियुक्त का नाम शिवम श्रीवास्तव के बताने पर प्रकाश में आया। शिवम द्वारा जो कथन किये गये वे असम्भाव्य हैं। उसके द्वारा यह कथन किया गया कि उसने अपने मृतक भाई को मृदुला आनन्द, डा० विजय कुमार एवं संगम उर्फ विनीत तथा 5–6 अन्य लोगों के साथ देखा था। मामले की विवेचना दिनांक 05–02–2015 को सी०बी०सी०आई०डी० को दे दी गयी थी और 22–08–2017 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से मामले की विवेचना पुनः स्थानीय पुलिस को दी गयी। दिनांक 25–11–2017 को शिवम श्रीवास्तव का अतिरिक्त् कथन रिकर्ड किया गया और उसके द्वारा यह कहा गया कि उसने दिनांक 19–01–2015 को साढ़े पांच बजे शाम हनीमैन चौराहे पर कार टाटा सफारी में शिखर को देखा था जिसमें अभियुक्त भी था। मृतक के चचेरे भाई अर्पितराज का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० के अधीन रिकर्ड किया गया जिसमें उसने मृतक के भाई शिवम के बयान को ही दोहराया। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह नामजद नहीं है। सारा अभियोजन कथानक शिवम श्रीवास्तव के बयान पर आधारित है जो कि दिनांक

22–12–2015 व 25–11–2017 को रिकर्ड किया गया। पुलिस द्वारा दिनांक 11–04–2019 तक प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। उसका नाम प्रथम बार शिवम श्रीवास्तव द्वारा 22–12–2015 को अपने बयान में बताया गया। इन 11 महीनों तक प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया जो स्वयं में सन्देहास्पद है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। गवाहों द्वारा जिस प्रकार की घटना बतायी गयी है वह असम्भाव्य है। अभियोजन साक्षियों द्वारा दिया गया बयान लास्ट सीन के कथानक को बल देने के लिये, किये गये हैं और वे सभी हितबद्ध गवाह हैं और उनके साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। यदि अभियोजन की समस्त बाते सत्य मान भी ली जायें तो उसके विरूद्ध मात्र इतना साक्ष्य है कि वह मृतक के साथ गाड़ी में देखा गया था। अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं है। घटना की कड़ियां आपस में नहीं जुड़ती हैं। अभियुक्त के पास घटना कारित करने का न तो कोई हेतुक थ न ही कोई अवसर था। अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार से धारा 147, 148, 149 364, 302, 201, 216 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध नहीं बनता है। उपरात्त आधारों पर प्रार्थना की गयी है कि उसे अपराध धारा 147, 148, 149 364, 302, 201, 216 भारतीय दण्ड संहिता से उन्मोचित किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त के उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य है। साक्षी शिवम श्रीवास्तव, कन्हैया, अर्पितराज तथा विधायक डा० विजय के सेवक सुभाष एवं सद्दाम ने घटना के सम्बंध में साक्ष्य दिये हैं। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। घटना परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन साक्षियों के जो कथन धारा 161 दं०प्र०सं० के अधीन रिकर्ड किये गये हैं, उनके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और अभियुक्त के विरूद्ध आरोप मात्र सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। इस स्तर पर साक्ष्यों का गुण–दोष के आधार पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त का प्रार्थनापत्र वास्ते उन्मोचन, निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी श्री दिनेश चन्द्र द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि उनका लड़का शिखर श्रीवास्तव उर्फ राजा दिनांक 19–01–2015 को अपने आफिस गया था और वहीं से 12:30 बजे लखनऊ चला गया। डा० विजय कुमार विधायक (बासगांव) व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द (जिला विद्यालय निरीक्षक) ने नौकरी की बावत रू.3,50,000/– लिये थे, जिसको मांगने के उद्देश्य से वादी का लड़का उनके घर कई बार गया, परन्तु ये लोग टालते रहे, काफी दिन

बाद उसके लड़के ने बताया कि डा० विजय कुमार व उनकी पत्नी ने उससे रू.3,50,000/– रूपये लिये हैं तब वह अपनी पत्नी के साथ डा० विजय कुमार व मृदुला आनन्द से लखनऊ में मिला तो उन्होने कहा कि परेशान न हो, लड़के का काम करा देंगें। दिनांक 19–01–2015 को समय करीब 05:45 बजे विधायक ने अपने आदमियों द्वारा शिखर को घर बुलवाया कि आकर पैसा वापस ले लो, वादी ने अपने छोटे बेटे शिवम से फोन पर बात की तो पता चला कि कुछ लोगों के साथ वह विधायक के यहां गया हुआ है, तो वादी फोन करता रहा और फोन भी मिलवाया, परन्तु फोन स्विच आफ बताता रहा। वादी का छोटा लड़का शिवम उनके सरकारी आवास निशातगंज लखनऊ गया जहां उसके नौकर ने बताया कि विधायक व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द तथा 4–5 अन्य लोग शिखर श्रीवास्तव को जबरदस्ती गाड़ी से ले गये हैं। गनर एवं घर के नौकरों से पूंछतांछ की गयी तो जवाब मिला कि विधायक जी से सबेरे साढ़े आठ बजे मुलाकात होगी। दिनांक 20–01–2015 को सुबह 08:20 बजे, शिखर के मोबाइल से वादी के छोटे बेटे के नम्बर पर पुलिस से सूचना आयी थी कि उसके भाई की लाश सड़क किनारे बदोसराय रामनगर मार्ग पर ग्राम बरदरी मरकामऊ में छत–विछत पड़ी है, जिस पर सभी लोगों ने पहुंचकर लाश की शिनाख्त की, तब वादी द्वारा थाने पर डा० विजय कुमार व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द तथा 5–6 अन्य व्यक्तियों पर शिखर की धारदार हथियार व लाठी डण्डा से मारकर हत्या कारित करने का एवं लाश छिपाने का आरोप लगाते हुए थाना बदोसराय में अपराध सं.16/2015, अन्तर्गत धारा 147, 148, 364, 302, 201 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, शिवम श्रीवास्तव, अर्पितराज, कन्हैयालाल, विधायक के सेवक सुभाष एवं सद्दाम के बयान के अलावा अन्य कई साक्षियों के बयान अंकित किये गये। वादी दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव ने अपने बयान में विवेचक को बताया कि उसके लड़के शिखर ने बताया था कि विधायक डा० विजय व मृदुला आनन्द ने उससे साढ़े तीन लाख रूपये नौकरी लगवाने के लिये लिया था और ये लोग उसकी नौकरी नहीं लगवा पाये और मेरे बेटे के पैसे मांगने पर बार बार टाल जाते थे, यह जानकारी होने पर वह अपनी पत्नी के साथ डा० विजय कुमार व मृदुला आनन्द से लखनऊ में जाकर निशातगंज में उनके आवास पर मिला तो भी उन्होने कहा कि पैसा वापस कर देंगें। दिनांक 19–01–2015 को जानकारी हुई की उनका लड़का आफिस से ही लखनऊ चला गया। उसके छोटे बेटे शिवम ने बताया कि शिखर ने पैसा लेने के लिये विधायक जी के यहां जाने की बात उससे बतायी थी और यह भी बताया था कि उसका फोन स्विच आफ आ रहा है। विधायक जी के सरकारी आवास निशातगंज जाने पर वहां नौकर ने बताया कि शिखर श्रीवास्तव को डा० विजय कुमार विधायक उनकी पत्नी मृदुला आनन्द तथा 4–5 अन्य लोगों ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और कहीं ले गये, जिसके आधार पर तहरीर थाना महानगर में दी गयी थी और

उपनिरीक्षक मनोज कुमार विधायक जी के आवास पर गये तथा विधायक जी व उनकी पत्नी का मोबाइल मिलाया तो नहीं मिला, नौकरों से पूंछतांछ पर आश्वासन मिला कि सुबह 08:30 बजे विधायक जी से मुलाकात हो जायेगी, इस पर छोटा बेटा व उसके साथी वापस आ गये। आज सुबह साढ़े आठ बजे उसके बेटे शिखर के मोबाइल से शिवम के नम्बर पर पुलिस द्वारा सूचना दी गयी कि उसका भाई की लाश रामनगर बदोसराय मार्ग पर ग्राम बरदरी भरमामऊ में पड़ी है। उसके लड़के तथा परिवार के अन्य लोगों ने जाकर लाश को देखा तथा पहचाना। शिखर के शरीर पर काफी चोटें थी तथा उसका कपड़ा खून से सना हुआ था। अपने मजीद बयान में वादी ने बताया है कि उनका लड़का विधायक डा० विजय की पत्नी जो DIOS हैं, के द्वारा सरकारी साइंस टीचर की नौकरी लगवाने के आश्वासन में डा० विजय कुमार के चुनाव में उनके साथ रहा था तथा मृदुला आनन्द से भी उनके सम्बंध हो गये थे, जिस कारण उसने साढ़े तीन लाख रूपये दिये थे, उक्त पैसा हर्षित राज श्रीवास्तव के सामने दिया गया था।

शिवम ने पुलिस को दिये गये अपने बयान में बताया कि दिनांक 19–01–2015 को वह लखनऊ में था, दिन में ढ़ाई बजे शिखर ने उसे बताया कि लखनऊ आ रहा है, विधायक डा० विजय एवं मृदुला आनन्द ने साढ़े तीन लाख रूपये देने के लिये निशातगंज सरकारी आवास लखनऊ पर बुलाया है, जो पहले नौकरी दिलाने के लिये लिये थो, शाम को खाना साथ खायेंगें। साढ़े पांच बजे शाम के आस पास हनीमैन चौराहे पर लखनऊ में मिलना। वह पांच बजे हनीमैन चौराहे पर चचेरे भाई अर्पित श्रीवास्तव व अमन श्रीवास्तव के साथ हनीमैन चौराहे पर आया, करीब साढ़े पांच बजे हनीमैन चौराहे पर सफारी गाड़ी से शिखर आया, उसने रूकवाने का इशारा किया, गाड़ी के अन्दर की लाइट जल रही थी, लेकिन गाड़ नहीं रूकी। उन सब ने देखा कि गाड़ी में उसका भाई शिखर श्रीवास्तव, विधायक विजय कुमार, उनकी पत्नी मृदुला आनन्द, ड्राइवर अमित कुमार, विधायक के साथ रहने वाले रिंकू और संगम तथा तीन आदमी अन्य थे। शिखर का फोन मिलाने पर फोन स्विचआफ मिला। शिखर के दोस्त कन्हैया को फोन लगाने पर उसने बताया कि करीब साढ़े चार बजे पालीटेक्निक चौराहे पर मिला था और कुछ सामान दिया था तथा यह भी बताया था कि विधायक विजय कुमार व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द के पास जा रहा हूं, जो नौकरी दिलाने के लिये पैसा लिये थे, देने के लिये बुलाया है, लेकिन वापिस नहीं आया। इसके पश्चात् वह, अर्पित व अमन विधायक विजय कुमार के सरकारी आवास निशातगंज पर आये परन्तु विधायक व उनकी पत्नी नहीं मिले तथा नौकर सुभाष व सद्दाम मिले, उन्होने बताया कि विधायक जी व उनकी पत्नी, शिखर, अमित, रिंकू, संगम व तीन अन्य लोगों के साथ सफरी गाड़ी से कहीं गये हैं। विधायक के गनर तूफानीराम ने मोबाइल नम्बर 9919345274 पर बताया कि बाहर हैं, सुबह आवास पर आ जाना। दिनांक 20–01–2015 को बदोसराय के पुलिस द्वारा सूचना मिली कि शिखर की लाश रामनगर बदोसराय रोड पर पड़ी है जिस पर वह उसके पिता तथा

परिवार के सभी लोग वहां जाकर लाश को देखकर उसकी शिनाख्त किये और उसके पिता ने 20–01–2015 को ही थाना बदोसराय पर प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा पंजीकृत कराया। विधायक विजय कुमार व उनकी पत्नी मृदुला, अमित कुमार, रिंकू व संगम और तीन आदमी अन्य ने मिल कर उसके भाई की हत्या की है। दिनांक 25–11–2017 को अपने मजीद बयान में शिवम श्रीवास्तव ने बताया कि जब वह अर्पितराज व नमन के साथ निशातगंज विधायक के आवास पर गया था तो उनके नौकर सुभाष व सद्दाम ने बताया था कि विधायक जी का ड्राइवर अमित, रिंकू, संगमलाल व उसका भाई शिखर श्रीवास्तव व तीन और लोग विधायक जी व उनकी पत्नी के साथ बाहर निकले हैं, इसके बाद वह फिर लखनऊ गया था और सुभाष व सद्दाम से मिला था तो उन्होने बताया था कि रामसिंह पुत्र भूलन, राजेन्द्र कुमार पुत्र विश्वनाथ की तूफानीराम गनर से रामसिंह व तूफानीराम दोनो से विधायक व उनकी पत्नी को राजेन्द्र कुमार के फूलबाग वाले मकान जो थाना गुडम्बा में है, में छोड़कर दिनांक 21–01–2015 को तूफानीराम वापस चला आया था। गवाह अर्पितराज ने अपने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में कहा है कि शिखर श्रीवास्तव ने दिनांक 19–01–2015 को फोन करके अपने भाई शिवम को बताया था कि वह लखनऊ आ रहा है, विधायक डा० विजय एवं मृदुला आनन्द ने पैसा वापस लेने के लिये बुलाया है। आज रात आपके पास रूकूंगा और खाना खाउंगा। शाम साढ़े पांच बजे हनीमैन चौराहे पर मिलना। शाम पांच बजे वह शिवम तथा नमन हनीमैन चौराहा पर पहुंच गये। शाम साढ़े पांच बजे विधायक की गाड़ी निकली जिसमें विधायक व उनकी पत्नी, शिखर श्रीवास्तव, ड्राइवर अमित, संगमलाल, रिंकू व तीन अन्य व्यक्ति बैठे थे। गाड़ी रोकने का शिवम ने इशारा किया तो गाड़ी स्लो हुई और आगे बढ़ गयी। शिखर श्रीवास्तव तथा विधायक व उनकी पत्नी का फोन मिलाने पर फोन बन्द था। इसके बाद तीनो लोग मृदुला आनन्द के सरकारी आवास निशातगंज गये, वहां पर नौकरों ने बताया कि विधायक जी, उनकी पत्नी, ड्राइवर अमित, संगमलाल, रिंकू तथा शिखर कहीं निकले हैं। विधायक के गनर तूफानीराम से मोबाइल पर बात करने पर उसने बताया कि वह लोग बाहर हैं। इसके बाद थाना महानगर में शिखर के गायब होने की सूचना देने पर एस०आई० मनोज कुमार के द्वारा मृदुला आनन्द के सरकारी आवास पर जाकर गनर तूफानीराम से बात किया था तो उसने बताया था कि विधायक जी बाहर हैं, सुबह बात हो सकेगी। गवाह ने आगे अपने बयान में पुलिस को बताया है कि शिखर व मृदुला आनन्द का व्यवहार अच्छा हो गया था और शिखर ने साढ़े तीन लाख रूपये नौकरी दिलाने के लिये मृदुला आनन्द को दिये थे। दिनांक 19–01–2015 को शिखर पैसा वापस लेने लखनऊ गया था। उसके सामने मौके से शिखर का एक जोड़ी जूता, टूटा बटन, बेल्ट का बक्कल व सफारी गाड़ी के मडगार्ड का टुकड़ा मिला था।

इस तरह साक्षी अर्पितराज एवं शिवम के बयानों से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा मृतक को सायं 05:45 बजे के आस पास दिनांक 19–01–2015 को डा० विजय

कुमार, मृदुला आनन्द, रिंकू, अमित व संगम के साथ गाड़ी में देखा गया। अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि मृतक शिखर श्रीवास्तव का शव दिनांक 20–01–2015 को बदोसराय–रामनगर मार्ग पर मिला और उसकी सूचना शिवम को मृतक शिखर के मोबाइल से दी गयी। मृतक के कपड़े रक्त रंजित थे। मृतक को कई चोटें थीं जिनमें अब्रेजन, कन्ट्यूजन, लेसरेटेड उन्ड की चोटें पायी गयी तथा रिब्स की हड्डियां टूटी थीं और मृतक के सिर, हाथ व पैर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम करने से आधा से एक दिन पहले हुई थी। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि मृतक को दिनांक 10–01–2015 के सायंकाल के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति के साथ देखा गया हो। अभियोजन साक्ष्य से इस स्तर पर यहीं दर्शित होता है कि मृतक का शव मिलने से पूर्व मृतक को जीवित हालत में डा० विजय, मृदुला आनन्द, संगम उर्फ विनीत भास्कर, रिंकू उर्फ नंदकिशोर एवं ड्राइवर अमित के साथ देखा गया था। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने का गम्भीर सन्देह उत्पन्न होता है जो इस बात को अत्यधिक सम्भावित बनाता है कि अभियुक्तगण द्वारा ही मृतक की हत्या करके साक्ष्य मिटाने के आशय से उसके शव को बदोसराय रामनगर मार्ग पर फेंक दिया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **पलविन्दर बनाम बलविन्दर सिंह** 2009(3) **SCC** 850 में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उन्मोचन प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय सेशन जज का क्षेत्राधिकार सीमित हाता है। आरोप गम्भीर सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। आरोप के स्तर पर साक्ष्य का क्रमबंधन और विश्लेषण करने की न्यायालय को शक्ति प्राप्त नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सज्जन कुमार बनाम सी०बी०आई०** 2010(9) **SCC** 368 में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "At the stage of framing of charge under section 228 CrPC or while considering the discharge petition filed u/s 227 CrPC it is not for the judge concered to analyze all the materials including pros and cons, reliability or acceptability etc, the evidentiary value and its credibility and veracity has to be considered at the stage of trial.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **भावनाबाई बनाम घनश्याम** (2020)2 **SCC** 217 में स्पष्ट रूप से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आरोप विरचन के स्तर पर मात्र प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, यही देखा जाना है। यह नहीं देखा जाना है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु युक्ति–युक्त सन्देह से परे साक्ष्य उपलब्ध हैं या नहीं।

माननीय उच्च्तम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के परिशीलन से स्पष्ट

है कि अभियोजन द्वारा ऐसी सामग्री प्रस्तुत किये जाने पर जिससे अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने का गम्भीर सन्देह उत्पन्न होता है, अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन के मौखिक साक्षियों शिवम श्रीवास्तव, अर्पितराज ने पुलिस को दिये अपने बयान में अभियुक्त संगम उर्फ विनोद भास्कर को मृतक शिखर श्रीवास्तव के साथ उसकी मृत्यु से पूर्व गाड़ी में देखे जाने का साक्ष्य दिया है और अगले ही दिन मृतक शिखर श्रीवास्तव की लाश बरामद होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने के आधा से एक दिन पूर्व होना अंकित है। इस तरह अभियुक्त द्वारा मृतक शिखर श्रीवास्तव की हत्या में शामिल होने अथवा उसकी हत्या किये जाने का गम्भीर सन्देह विद्यमान है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पर्याप्त सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अभियुक्त संगम उर्फ विनोद भास्कर का उन्मोचर प्रार्थनापत्र ब 58 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त संगम उर्फ विनोद भास्कर का उन्मोचर प्रार्थनापत्र ब 58 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र ब 59 व ब 60 दिनांक 08–09–2022 को पेश हो।

दिनांक 07–09–2022

(कमल कान्त श्रीवास्तव)
J.O. Code:UP01559
विशेष न्यायाधीश(एम.पी. एवं एम.एल.ए.)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं.04, बाराबंकी।